

डिक्री व मुकदमा इब्तदाई

(आर्डर 20 नियम 6-7 जाफ़ा दिवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला शाहपुरा (राज0)
बईजलास श्री मुकेश कुमार मीणा, (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी

उनवान

मदन पिता भूरा नाई निवासी रामपुरा, खामोर तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

— वादी

बनाम

- 1- रतन पिता भूरा नाई निवासी रामपुरा, खामोर तहसील शाहपुरा
- 2- घीसू पिता भूरा नाई निवासी रामपुरा, खामोर तहसील शाहपुरा
- 3- तहसीलदार शाहपुरा जिला शाहपुरा

— प्रतिवादीगण

वाद पत्र : बाबत खातेदारी घोषणा, नामान्तरकरण
निरस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर 60 सन् 2019 राजस्व वाद

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसल कतई रुबरू अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजानिब मुदई वX मिनजानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है। डिक्री दी जाती है कि :-

वाके ग्राम रामपुरा पटवारी हल्का खामोर तहसील शाहपुरा के नामान्तरकरण सं0 1391 दिनांक 05.11.2015 को निरस्त किया जाकर आराजी नम्बर 165 रकबा 0.37 है0, 166 रकबा 0.61 है0, 167 रकबा 0.57 है0 कुल किता 3 रकबा 1.55 है0 में वादी को 5/18 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। एवं प्रतिवादी सं0 02 के उक्त आराजियात में 7/18 हिस्सा दर्ज करने के आदेश तहसीलदार शाहपुरा को दिये जाते हैं। शेष इन्द्राज यथावत रहेंगे।

निज मुबलिग, बाबत खर्चा, इस मुकदमें में सूद शहर फौसदी सालाना आज तारीख से तारीख व सूलयाबी तक अदा करे।

बाबत मेरे दस्तखत व मोहर से आज तारीख 13 माह 02 सन् 2024 को जारी की गई।

(मुकेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, शाहपुरा